



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 2016/ज्येष्ठ 3, 1938

No. 366]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 2016/JYAISTHA 3, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

सा.का.नि. 541(अ).— केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तों और भत्ते नियम, 2006 के नियम 8 के उप-नियम (1) के साथ पठित लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 29ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1693 (अ) तारीख 3 अक्तूबर, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक तथा प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(1)	श्री शक्ति सिन्हा, डी-8, टावर 6, न्यू मोती बाग नई दिल्ली - 110023	अध्यक्ष"
"(2)	श्री सिवारमन गोपाल कृष्णन भारतीय लागत लेखापाल संस्थान	सदस्य"
"(3)	श्री कुनाल बनर्जी भारतीय लागत लेखापाल संस्थान	सदस्य"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 2/23/2006-पीआई]
के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव